भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *260

जिसका उत्तर 08.08.2024 को दिया जाना है

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य

*260. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के सबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए मरम्मत कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और कितना कार्य शुरू किया गया है और कितना कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) उक्त प्रायोजनार्थ स्थान-वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) जहां मरम्मत कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है वहां इसे शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य' के संबंध में डॉ. थोल तिरूमावलवन द्वारा पूछे गए दिनांक 08.08.2024 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *260 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में बाढ़ क्षति मरम्मत (एफडीआर), साधारण मरम्मत (ओआर), आवधिक नवीकरण (पीआर), एक बारगी सुधार, अल्पकालिक रखरखाव संविदा (एसटीएमसी) और निष्पादन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) के कार्यों को कवर करते हुए बाईपास किए गए भाग सहित 940.22 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) की मरम्मत के लिए कुल 736.36 करोड़ रुपये की लागत के 57 प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन्हें अनुमोदित किया गया है।

(ग) निधियों का आबंटन स्थान-वार नहीं बल्कि एजेंसी-वार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत में दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 1076 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(घ) निर्माण/संचालन के अंतर्गत दोष देयता अवधि/रियायत अवधि तक सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखना संविदाकार/रियायतग्राही की जिम्मेदारी है। अन्य खंडों में, मंत्रालय ने अल्पकालिक रखरखाव संविदा (एसटीएमसी) और निष्पादन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) के माध्यम से उन खंडों के रखरखाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है जो न तो निर्माणाधीन हैं और न ही रखरखाव/दोष देयता अवधि के अंतर्गत हैं।
